



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122021-231679
CG-DL-E-07122021-231679

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4682]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 7, 2021/अग्रहायण 16, 1943

No. 4682]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 7, 2021/AGRAHAYANA 16, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2021

आयकर

का.आ. 5056(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त निगम द्वारा बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण के साथ यथा दाखिल, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन अक्षय-VII प्लान को निर्धारण वर्ष 2021-22 तथा परवर्ती वर्षों के लिए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ भारतीय जीवन बीमा निगम की वार्षिकी प्लान के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 134/2021/फा. सं. 178/4/2021-आई.टी.ए.-I]

सौरभ जैन, अवर सचिव (आई.टी.ए.-I)